स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone &Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ 55( )पीए / सीई / डीएलबी / कोरोना / 2021 / 70 दिनांक: 21/3/2021

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय:- कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जागरूकता अभियान एवं टीकाकरण के कार्य को गति देने बाबत्।

जैसा कि विदित है कि बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों जैसे–महाराष्ट्र, केरल व पंजाब इत्यादि में कोरोना संक्रमण की घटनाओं में पुनः वृद्धि हुई है। राजस्थान में भी कोरोना पॉजिटिव केसों में पुनः बढ़ोतरी दृष्टिगत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभिन्न धर्मगुरूओं, राजनैतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के द्वारा संवाद स्थापित करते हुए कहा है कि "कोरोना की जीती हुई जंग हम हार न जाए" इसके लिए जरूरी है कि कोरोना की शुरूआत के समय जो सतर्कता एवं सजगता हमने बरती उसे निरंतर बरकरार रखें। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर किसी भी व्यक्ति की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कोरोना के कारण दुनिया के कई देशों और हमारे देश के कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले कम होने के बाद Corona Appropriate Behaviour के प्रोटोकॉल की पालना मे आमजन द्वारा लापरवाही देखी जा रही थी। प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बने इसके लिए आवश्यक है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना (जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखना एवं बार–बार हाथ धोना/सेनेटाईज़ करना) एवं टीकाकरण की गति को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रदेश में मास्क पहनने की अनिवार्यता का कानून लागू है। अतः बार–बार प्रोटोकॉल का उल्लघन करने वालों के विरूद्ध संबंधित विभाग समन्वित रूप से कार्यवाही करें, जिससे कि आमजन प्रोटोकॉल की पालना हेतु गंभीरता बरते। इसके अतिरिक्त गृह विभाग, राजस्थान सरकार के निगरानी, नियंत्रण ओर सावधानी के लिए गाईडलाईन्स आदेश दिनांक 21.03.2021 की पालना सख्ती से की जावे।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर के नेतृत्व में संबंधित विभागों यथा पंचायतीराज विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, नगरीय विकास व आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के समन्वित प्रयास से सम्पूर्ण जिले में पुनः जागरूकता अभियान के द्वारा नागरिकों को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना एवं टीकाकरण हेतु प्रेरित करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है:-

- नगरीय निकायों द्वारा जिला कलक्टर के निर्देशन में जागरूकता से संबंधित गतिविधिया प्रारंभ करना जैसे-रैली निकालना, नये परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार जिंगल बजाना, सार्वजनिक परिवहन के साधनों यथा ई–रिक्शा, साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा इत्यादि के माध्यम से माईक द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार एवं पूर्व में निर्धारित लक्ष्यो के अनुसार पम्पलेट वितरण जारी रखना। शहर के मुख्य स्थानों पर हॉर्डिंग्स, बैनर इत्यादि लगाना। शहर के कमजोर वर्गों में संवाद उपरांत मास्क विहीन नागरिकों को मास्क वितरित किया जाना एवं नगर के विभिन्न संगठनो (व्यापारिक, नागरिक, सामाजिक, धार्मिक इत्यादि) से संवाद स्थापित कर समझाईश हेतु सहयोग प्राप्त करना।
- बाजार, मॉल्स, रेस्टोरेंट, कार्य स्थल, सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल, अदालत, निर्माण श्रमिकों की चौखटी, सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयरपोर्ट, धार्मिक स्थल, सामाजिक

250

व निजी कार्यक्रमों/विवाह समारोहों एवं निकट भविष्य में होली व ईद के त्यौहारों में भीड पर नियंत्रण, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करना एवं उल्लंघन करने वालों पर शास्ती लगाना।

- एनसीसी/एनएसएस/स्काउट गाईड के कार्यक्रम अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जागरूकता परेड एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग प्राप्त करना।
- एनजीओ/नेहरू युवा केन्द्र/बाजारों के व्यापार मण्डल/जनप्रतिनिधी (स्थानीय पार्षदगण इत्यादि)/सामाजिक संगठन/धर्म गुरूओं, स्कूल/कॉलेजों के विद्यार्थियों व शिक्षकों इत्यादि से संवाद स्थापित कर अभियान में सहयोग प्राप्त करना।
- शहर के मुख्य स्थानों पर खुले में थड़ी–ठेलों आदि पर भीड़ का नियंत्रण एवं Take Away को प्रोत्साहित करना।
- वर्तमान परिदृश्य के अनुसार माननीय सांसद/माननीय विधायकगण/महापौर/सभापति/ नगर पालिका अध्यक्ष जिलाधिकारियों, स्थानीय प्रख्यात चिकित्सकों द्वारा लोकल न्यूज चैनलों, समाचार पत्रों एवं डिजिटल मीडिया–एफएम रेडियो, टीवी सोशल मीडिया इत्यादि के द्वारा प्रोटोकॉल की पालना एवं वेक्सीनेशन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
- नगरीय निकायों के स्टाफ, बीएलओ एवं एएनएम के द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जाना एवं टीकाकरण योग्य नागरिकों को मोबिलाईज करने में सहयोग करना।
- प्रोटोकॉल के बार–बार उल्लंघन पर वाणिज्यिक स्थलों को सांकेतिक रूप से एक–दो दिन के लिए बंद करवाना।

इस अभियान का व्यवस्थित ढंग से संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिसमें सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित हो। उपरोक्त निर्देशों की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये, जिससे नागरिकों में सकारात्मक संदेश जाए एवं कोरोना नियंत्रण के लिए आवश्यक जागरूकता पैदा हो। इस संबंध में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट जिला कलक्टर्स प्रतिदिन सभी संबंधित विभागों के शासन सचिव को ईमेल के माध्यम से नियमित रूप से प्रेषित करें।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

क्रमांक एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/ 71-77

दिनांक 21/3/21

मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास व आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ....
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
5. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. प्रोग्रामर (आई टी प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह देथा) 21/3/21
शासन सचिव

Scanned with CamScanner